35

530
12.9.13

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट
रीवा (म0प्र0).

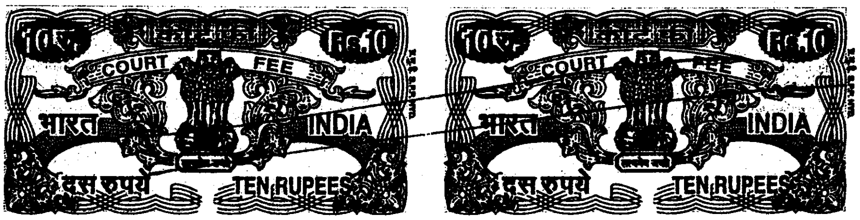


अमित कुमार झामबानी तनय स्व. मयाराम झामबानी, निवासी– घोघर रीवा, तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

———अपीलाण्ट

बनाम्

1. सुन्दर तनय हरछाठी कोल,
2. मु0 केमली पत्नी हरछाठी,
3. श्यामकली पुत्री हरछाठी कोल,

सभी निवासीगण ग्राम–चोरहटा, थाना–चोरहटा, तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

4. शासन मध्यप्रदेश.

————रेस्पांडेन्टगण

अपील विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा दिनांक 01.08.2013 जो अपील प्रकरण क्र0 1057/अपील/12–13 में पारित किया जाकर अपीलाण्ट की अपील अंतर्गत धारा 44(1) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 निरस्त की गई।

अपील अंतर्गत धारा–44(2) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

अपील के आधार निम्नलिखित हैं :-

1. यह कि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थी की अपील को निरस्त करने तथा अपर कलेक्टर रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2013 को कायम रखने में एक महान कानूनी भूल की है।

[redacted]

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र.नि.4340–तीन/13 जिला–रीवा

अमित कुमार झानवानी/ सुन्दर कोल व अन्य

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |
| 17.01.17 | 1. प्रकरण प्रस्तुत।<br>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता श्री डी.पी. मिश्रा की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।<br>3. अनावेदक क्र01 की ओर से श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय उपस्थित।<br>4. अनावेदक क्र02,3 सूचन उपरांत उपस्थित नहीं है।<br>5. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।<br>6. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस हो, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।<br>सदस्य | |